

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020


जयपुर, दिनांक : 27.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के निपटने के परिप्रेक्ष्य में जिलों में पदस्थापित दन्त चिकित्सकों मय ई. एस. आई. में पदस्थापित दन्त चिकित्सकों की सेवाएँ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तुरन्त प्रभाव से सौंपी जाती है।

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उनके जिले में पदस्थापित दन्त चिकित्सकों को कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण एवं रोकथाम के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए इनकी सेवाएँ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु उपयोग में लावें।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार) 27.3.2020
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय /
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य / ई. एस. आई.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजण
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
7. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ
8. निजी / रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव